प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 23.03.2026

अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध महुली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 08 किग्रा 750 ग्राम अफीम के हरे पौधे (फल व फूल सहित) के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभय नाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल मजीद निवासी बसियाजोत थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को उसके घर के पास में छापेमारी कर अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ करते हुए 08 किग्रा 750 ग्राम अफीम के हरे पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***घटना का विवरण* –**
आज दिनाँक 23.03.2026 को थाना महुली पर सूचना मिली कि ग्राम बसियाजोत में अभियुक्त अब्दुल रहीम उपरोक्त द्वारा अपने घर के सामने खेत में अफीम का पौधा लगाया गया है। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष महुली पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्त को 08 किग्रा 750 ग्राम अफीम के हरे पौधे (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी:- कुल 08 किग्रा 750 ग्राम अफीम के हरे पौधे (फल व फूल सहित)।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 97/2026 धारा 8/18 NDPS एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

पुलिस टीम का विवरण:- थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, का0 अरविन्द कुमार यादव, का0 रितेश यादव, का0 राजमंगल यादव, का0 सुनील कुमार सिंह, का0 सोनू यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 08 किग्रा 750 ग्राम अफीम के हरे पौधे (फल व फूल सहित) के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी धनघटा द्वारा दी गयी बाईट।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड शत प्रतिशत कुल 10000 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर थाना टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत कुल 10,000 रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरण–
पीड़िता मंजू देवी पुत्री दीपनारायण निवासी जिला कारागार संतकबीरनगर (कारागार कर्मचारी) द्वारा साइबर थाना पर प्रार्थना पत्र देकर LIC बीमा कराने के नाम पर 10,000 रुपये फ्राड होने की शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसके उपरान्त थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता से किये गये फ्राड की सम्पूर्ण 10,000 रु0 की धनराशि को शत प्रतिशत वापस कराया गया। इस पर पीड़िता द्वारा जनपद संतकबीरनगर पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।
जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।
रिकवरी कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण- प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री जयप्रकाश चौबे, क0आ0 रिंकी सिंह, म0आ0 अमृता सिंह, म0आ0 हिना गौड़।

- ➢ ***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी के 03 मामले का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार***

- ➢ ***चोरी की 03 अदद बैटरी, 01 अदद सिलेण्डर, 1130रु0 व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साईकिल बरामद***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा दिनाँक 22.03.2026 को 02 अभियुक्तगण नाम पता 01. आशुतोष राना पुत्र सतीशचन्द्र निवासी गांधीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. सुरेन्द्र पुत्र भोला निवासी एन0डी0 पाण्डेय गली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरगनर को डड़वा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की 03 अदद बैटरी, 01 अदद सिलेण्डर, 1130रु0 व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साईकिल से बरामद किया गया।

अनावरण हुयी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण-

प्रथम घटनाः- दिनाँक 16.03.2026 को वादी श्री लुदिया टेटे प्रधानाचार्य उच्च प्राथमिक विद्यालय सरौली चहारुम, खलीलाबाद द्वारा थाना खलीलाबाद पर दिनाँक 30.01.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय गैस सिलेण्डर, रेडियो, बच्चो के खेलने के सामान आदि चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 164/2026 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

द्वितीय घटनाः- दिनाँक 22.03.2026 को वादी श्री चन्द्रप्रकाश सिंह पुत्र श्री संकठाप्रसाद सिंह निवासी कम्पनी गोरखपुर कार्यक्षेत्र, खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनाँक 12.03.2026 को दूरसंचार एयरटेल मोबाईल टावर ग्राम रगड़गंज गोला बाजार से दो अदद बैट्री अज्ञात द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 184/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

तृतीय घटनाः- दिनाँक 22.03.2026 को वादी श्री प्रवीन मौर्या पुत्र सुखराम मौर्या निवासी पचपेड़वा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनाँक 11.03.2026 को नवीन सब्जी मण्डी खलीलाबाद में सब्जी खरीदते समय वादी के टेम्बू की बैट्री अज्ञात द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 185/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. आशुतोष राना पुत्र सतीशचन्द्र निवासी गांधीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. सुरेन्द्र पुत्र भोला निवासी एन0डी0 पाण्डेय गली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरगनर।

बरामदगी का विवरणः-

01- चोरी की 03 अदद बैटरी।
02- 01 अदद सिलेण्डर।
03- 1130रु0।
04- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साईकिल बरामद।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताये कि सरौली गांव के सरकारी जूनियर स्कूल मे हम दोनो ने मिलकर स्कूल का ताला तोड़कर रात मे करीब डेढ माह पूर्व एक सिलिण्डर, बच्चो के खेलने का सामान, कुछ बरतन, कुछ राशन चोरी किये थे। जिसमे से गैस सिलिण्डर छुपा कर रखे थे और चोरी किये गये सामानो को राह चलते लोगो को बेच दिये थे। हमारे पास जो पैसा बरामद हुए है, खर्च करने के बाद वही बचा पैसा है। उसके करीब दस - बारह दिन पहले नवीन सब्जी मंडी से एक टेम्पो से सुरेन्द्र ने एक बैटरी चोरी किया था और मै दूर से आने जाने वालो पर नजर रख रहा था। उसके बाद उसी रात को हम दोनो ने मिलकर रगड़गंज मे लगे मोबाइल टावर से एक हरे रंग की तथा एक सफेद रंग की बैट्री चोरी किये थे। आज हम दोनो लोग गैस सिलिण्डर व उक्त बैटरियां बेचने के लिए ग्राहकों का इतेजार कर रहे थे कि आप लोगो द्वारा हमे पकड़ लिया गया। उक्त व्यक्तियो से मोटर साइकिल अपाची लाल रंग के बारे मे पूछने पर आशुतोष ने बताया कि यह मोटर साइकिल मेरे पिताजी की है जिसका प्रयोग चोरी करने माल बेचने मे करते है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. उ0नि0 श्री उमाशंकर त्रिपाठी, उ0नि0 श्री इन्द्रभूषण सिंह, उ0नि0 श्री अश्वनी तिवारी, हे0का0 हरिप्रकाश, का0 संजय प्रसाद, का0 श्यामनरायण यादव, हे0का0 आकाश कुमार ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत दबिश के दौरान 15 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत पिछले दो दिनों में जनपद के थानों की पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दिया। इस कार्यवाही के दौरान कुल 15 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में

थाना महुली पुलिस द्वारा 05 वारण्टी नाम पता 1.कमलेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी हरिहरपुर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर, 2.वीरेन्द्र पुत्र विद्या प्रसाद निवासी हरिहरपुर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर, 3.राजेन्द्र पुत्र नेबूलाल निवासी हरिहरपुर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर, 4.पंकज मदेशिया पुत्र चन्द्रभान मदेशिया निवासी वार्ड नं० 03, सूर्यनगर हरिहरपुर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर, 5.धर्मराज पुत्र मिट्ठू कन्नौजिया निवासी नाथनगर (गनपतगंज), थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय, चौकी प्रभारी मुखलिसपुर उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी हरिहरपुर उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, हे0का0 मिथिलेश्वर चौधरी, हे0का0 पंकज यादव, का0 विनोद कुमार, का0 छोटेलाल

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता राममिलन पुत्र गोमती बेलदार ग्राम घोरांग थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 शरद कुमार।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रामपूजन पुत्र रामनाथ निवासी केंचुआखोर थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संदीप कुमार राय, हे0का0 सुरेन्द्र यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 03 वारण्टी नाम पता 01.कैशर अली पुत्र कासिम अली 02. कैशर जहाँ पत्नी कैशर अली निवासीगण नगपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 03. दयाशंकर पुत्र मुक्तिनाथ निवासी हरना थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, उ0नि0 श्री एखलाक खान, का0 अरुण यादव, का0 मनीष कुमार, म0पी0आर0डी0 चंदा।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रामबृक्ष पुत्र रामललित निवासी गोइठहा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ब्रम्हानन्द।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता 01. निहाल पुत्र सल्लन उर्फ एहसानुल्लाह निवासी सालेपुर थाना दुधारा 02. जाफर पुत्र स्व0 बिस्मिल्लाह निवासी चिउटना चौराहा थाना दुधारा 03. रामकिशुन पुत्र नेबुलाल निवासी मुडाडिहा बेग थाना दुधारा 04. झीनक पुत्र रुआब अली निवासी मीरवापुर टोली जोगीपुरवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, उ0नि0 श्री दिनेश कसौधन, उ0नि0 श्री बीरबहादुर यादव, उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, हे0का0 विनोद यादव, का0 दीपनारायण शर्मा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 157 वाहनों से 1,73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 23.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 157 वाहनों से 1,73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 07 स्थान पर लगवाये गये 21 सीसीटीवी कैमरे

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत आज दिनाँक 23.03.2026 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 07 स्थान पर 21 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 02 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

वारंटी/वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की सफल क्रियान्वयन हेतु की गई समीक्षा गोष्ठी

आज दिनांक 23.03.2026 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीणा* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* द्वारा वारंटी एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा गोष्ठी गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की गई।

गोष्ठी में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक एवं थाना अध्यक्षों को उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।

सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वारंटी एवं वांछित अभियुक्तों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा निरोधात्मक कार्रवाई में तेजी लाई जाए।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियान में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई।

निर्देशित किया गया कि वारंटी एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए साथ ही साथ आदेशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की लापारवाही की पुनरावृति न हो।

सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अभियान को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

बैठक के अंत में अभियान की सतत निगरानी करते हुए लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।